


कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

(प्रशिक्षण निदेशालय)

क्रमांक:प-11(1)प्रशि0/पॉलिसी/2014/222-1302 दिनांक: 24.2.2015.


स्थाई आदेश क्रमांक 04 / 2015

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 27(3) के तहत हैड कानिस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक पुलिस के पद की पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थियों को पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम कराने हेतु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 30(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित स्थाई आदेश सं0 01/2009 के अतिक्रमण में हैड कानिस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक पुलिस का संलग्न पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है।


(ओमेन्द्र भारद्वाज)
महानिदेशक पुलिस
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट महानिदेशक पुलिस, प्रशासन एवं कानून व्यवस्था।
3. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
5. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
6. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक राजस्थान मय जीआरपी, अजमेर/जोधपुर
7. प्रधानाचार्य, आर0पी0टी0सी0 जोधपुर।
8. कमाण्डेन्ट, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर/किशनगढ/खैरवाडा/झालावाड
/बीकानेर/ अलवर/भरतपुर/ आर0पी0टी0सी0 जोधपुर।
9. कमाण्डेन्ट, पी0एम0डी0एस0बीकानेर।
10. पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर।


(नन्द किशोर)
अति0 महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण)
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान पुलिस

मुख्य आरक्षी से सहायक उप निरीक्षक

पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

(प्रशिक्षण अवधि – 08 सप्ताह, परीक्षा अवधि—01 सप्ताह)

| | | |
|---|---|------------|
| 1 | कुल अवधि | 63 दिन |
| 2 | प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध दिन | 48 दिन |
| 3 | अन्तरंग प्रशिक्षण के लिए 48 (दिवस) x 6 (कालांश) | 288 कालांश |
| 4 | बहिरंग प्रशिक्षण के लिए 48 (दिवस) x 3 (कालांश) | 144 कालांश |
| 5 | फायरिंग एवं आउटडोर परीक्षाएं | 3 दिन |
| 6 | इण्डोर परीक्षाएं | 3 दिन |
| 7 | खेल 48X1 | 48 कालांश |

राजस्थान पुलिस
मुख्य आरक्षी से सहायक उप निरीक्षक
पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
अंतरंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
विवरण
प्रश्न पत्र - I

वृहद् अधिनियमों की सामान्य जानकारी एवं अनुसंधान

पूर्णांक :- 100

कालांश :- 90

मॉड्यूल-एक - वृहद् अधिनियमों की सामान्य जानकारी

कालांश - 36

अ- भारतीय दण्ड संहिता -

कालांश 15

1. धारा 21 से 25 तक, 52क, 75 सामान्य अपवाद धारा 76 से 106
2. धारा 295 से 298 तक
3. धारा 107 से 117, 120, 120ख, 159, 160, 34, 149, 509, 511

ब-दण्ड प्रक्रिया संहिता -

कालांश 15

1. परिभाषा - धारा 2
2. गिरफ्तारी संबंधी प्रावधान (धारा 41,41क,41ख,41ग,41घ), 42, 46, 47, 50, 50क, 51, 57
3. लोक शान्ति भंग होने संबंधी प्रावधान धारा 106 से 124, 129 से 152
4. तलाशी - धारा 100,102,467 से 473
5. जमानत - धारा 436 से 439 तक

स-साक्ष्य अधिनियम -

कालांश 06

1. परिभाषा - धारा 3- तथ्य, दस्तावेज, सुसंगत, विवाद्यक तथ्य, साक्ष्य, उपधारणा
2. स्वीकृति एवं संस्वीकृति - धारा 23 से 27,
3. विशेषज्ञ की राय व साक्ष्य - धारा 45 से 47,159,160
4. साक्ष्य की सक्षमता धारा 113ए, 113बी, 114ए, 118 से 134

अ- अनुसंधान (विधिक प्रावधान)

कालांश 04

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 से 176, 299, 300, 82, 83

ब- व्यावहारिक कार्य

कालांश 08

अनुसंधान का व्यावहारिक कार्य – प्रथम सूचना रिपोर्ट, कार्यवाही पुलिस, घटनास्थल का निरीक्षण, साक्ष्य संकलन को एकत्र करने की सावधानियों व उसके संबंध में की जाने वाली कार्यवाही को चैक करना, अनुसंधान की कार्य योजना बनाना, साक्ष्य का चार्ट बनाना, सबूतों की सुरक्षा, नक्शा मौका, बयान, पंचायतनामा, फर्द गिरफ्तारी, केस डायरी, सफीना, रिमाण्ड, अंतिम रिपोर्ट, पूछताछ के तरीके व पूछताछ की रिपोर्ट बनाना।

स- विभिन्न प्रकरणों का अनुसंधान

1. सड़क दुर्घटना प्रकरण

कालांश 02

- भारतीय दण्ड संहिता धारा 279, 304ए, 336, 337, 338
- मोटर वाहन अधिनियम 133, 134, नोटिस तैयार करना।
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही
- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्कूटनी नोट बनाना।
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना

2. मारपीट व बलवा, आपराधिक अतिचार व हत्या का प्रयास

कालांश 06

- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 से 330, 341, 342, 307 व 308 एवं 141 से 153क तक, 447 से 460, 504, 511
- साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1), मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करना।
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
- मेडिकल रिपोर्ट का विश्लेषण धारा 307 व 308 भा0द0सं0
- धारा 325, 326, 307, 308 में अन्तर व लागू करने की परिस्थितियाँ
- धारा 34 व 149, 447, 448, 451, 452 में अन्तर व लागू करने की परिस्थितियाँ
- अनुसंधान पत्रावली से स्कूटनी नोट बनाना धारा 307 व 308

3. चोरी, नकबजनी, उद्दापन व लूट एवं इनका प्रयास

कालांश 06

- भारतीय दण्ड संहिता धारा 378, 379, 380, 381, 382, 384, 392, 457, 458, 461, 411, 413, 414, 511
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जानकारी
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
- साक्ष्य अधिनियम की धारा 25, 27, 32(1) फर्द इतला, फर्द बरामदगी तैयार करना व जानकारी।
- चोरी, नकबजनी व लूट के प्रकरणों में सुराग जुटाना/ कार्यप्रणाली/ अपराधी रिकार्ड/ मुखबिर मामूर करना तथा एम0ओ0बी0 से अपराध के संबंध में जानकारी प्राप्त करना।
- स्कूटनी नोट बनाना।

4. राजकार्य में व्यवधान एवं सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान कालांश 04
- धारा 186, 332, 333, 353 व 3 पी0डी0पी0पी0 एक्ट
 - अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही व एकत्रित किये जाने वाले साक्ष्य
 - साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
 - वास्तविक अनुसंधान पत्रावली तैयार करना
 - स्कूटनी नोट बनाना।
5. महिलाओं के विरुद्ध यौन शोषण व छेड़छाड़ का प्रयास करना कालांश 04
- भारतीय दण्ड संहिता धारा 354, 376, 506, 509, 511 एवं नवीनतम संशोधन
 - अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही
 - दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अन्तर्गत बयान कराने बाबत जानकारी
 - प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना।
 - स्कूटनी नोट बनाना।
 - साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
6. घोखाघड़ी एवं फर्जी दस्तावेज प्रकरण कालांश 06
- भारतीय दण्ड संहिता धारा 193, 403, 411, 415 से 420, 467, 468, 471
 - अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही एवं योजना बनाना
 - भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के बारे में नोटिस का प्रारूप बनाना / दस्तावेज तलब करने हेतु नोटिस तैयार करना।
 - विवादग्रस्त दस्तावेज व विवाद रहित दस्तावेज प्राप्त करना
 - विवादग्रस्त हस्तलेख, हस्ताक्षर, विवाद रहित हस्तलेख व हस्ताक्षर लेना तथा लिये गये नमूने को मिलान हेतु एफ0एस0एल0 भिजवाना व राय प्राप्त कर उस पर कार्यवाही करना।
 - भूमि संबंधी प्रकरणों में राजस्व रिकार्ड का अध्ययन, राजस्व अधिकारियों की भूमिका
 - मिथ्या दस्तावेज व कूट रचित दस्तावेज में अन्तर करना।
 - साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
 - प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना।
 - वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्कूटनी नोट बनाना।
7. धार्मिक द्वेष फैलाना कालांश 04
- भारतीय दण्ड संहिता धारा 153क, 295 से 298
 - प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना।
 - वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्कूटनी नोट बनाना।
 - साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
8. आत्महत्या का प्रयास एवं दुष्प्रेरण कालांश 04
- भारतीय दण्ड संहिता धारा 107 से 114, 306
 - घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित करना, प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना।
 - वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्कूटनी नोट बनाना।
 - साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना

9. अपहरण एवं व्यपहरण

कालांश 04

- भारतीय दण्ड संहिता धारा 359 से 368
- एफ0एस0एल0 विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करना
- घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित करना
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
- प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना
- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्कूटनी नोट बनाना

10. मर्ग

कालांश 02

- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174
- मर्ग की सम्पूर्ण पत्रावली तैयार करना
- तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना
- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्कूटनी नोट बनाना

प्रश्न पत्र – II

विविध अधिनियम एवं निरोधात्मक कार्यवाही

पूर्णांक :- 100

कालांश :- 90

मॉड्यूल-तीत – विविध अधिनियम

कालांश :- 54

1. शस्त्र अधिनियम – 1954 कालांश 06
 - शस्त्र अधिनियम-1959 धारा 3,4,7,8,19, 25, 27,29, 30, 39
 - सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना
 - अनुसंधान पत्रावली तैयार करना
 - स्कूटनी तैयार करना
2. अपचारी बालक/किशोर न्याय अधिनियम-2000 कालांश 04
 - किशोर न्याय अधिनियम की धारा – 2, 4, 5, 12
 - सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना
 - स्कूटनी नोट तैयार करना
3. लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम – 1984 (पीडीपीपी एक्ट) कालांश 06
 - महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी देना धारा 3,4,5
 - सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना
 - प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली तैयार करना
 - स्कूटनी नोट तैयार करना
4. राजस्थान ध्वनि नियन्त्रण अधिनियम-1963 कालांश 06
 - महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी देना धारा 2 से 8 तक
 - सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना
 - प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली तैयार करना
 - स्कूटनी नोट तैयार करना
5. पशुकूरता अधिनियम – 1960 कालांश 06
 - महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी देना धारा 2, 11, 13, 20 से 26 तक
 - सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना
 - प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली तैयार करना
 - स्कूटनी नोट तैयार करना
6. राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम –2006 कालांश 06
 - महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी देना
 - अधिनियम के अन्तर्गत इस्तगासा तैयार करना
 - स्कूटनी नोट तैयार करना

7. राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम -1985

कालांश 05

- महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी देना धारा 1, 3, 5, 8
- सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना
- प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली तैयार करना
- स्कूटनी नोट तैयार करना

8. अन्य अधिनियमों की जानकारी

कालांश 15

- एनडीपीएस एक्ट एवं धारा 42,50, 52,57 से सम्बंधित फर्द तैयार करना
- राजस्थान आबकारी अधिनियम धारा 16,19, 47, 54 व 54क
- जुआ अध्यादेश धारा 3 से 5, 13
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 की धारा 1 से 4, व 36
- मोटर वाहन अधिनियम

मॉड्यूल-चार - निरोधात्मक कार्यवाही

कालांश-36

अ-परिशान्ति व सदाचार बनाये रखते हेतु निरोधात्मक कार्यवाही

कालांश 16

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 106 से 110, 116, 117, 122, 151।
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता 108 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियों एवं इस्तगासा तैयार करना।
3. दण्ड प्रक्रिया संहिता 110 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियों एवं इस्तगासा तैयार करना।
4. दण्ड प्रक्रिया संहिता 122 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियों एवं इस्तगासा तैयार करना।
5. दण्ड प्रक्रिया संहिता 151 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियों एवं इस्तगासा तैयार करना।

ब-लोक व्यवस्था बनाये रखते हेतु निरोधात्मक कार्यवाही

कालांश 06

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 129 से 132, परिस्थितियों एवं की जाने वाली कार्यवाही
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता 144 व 144क, परिस्थितियों एवं की जाने वाली कार्यवाही, निषेधाज्ञा उल्लंघन करने पर 188 भारतीय दण्ड संहिता में कार्यवाही

ब-लोक न्यूसेन्स हेतु निरोधात्मक कार्यवाही

कालांश 04

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 133, परिस्थितियों एवं की जाने वाली कार्यवाही
2. इस्तगासा तैयार करना

द-भूमि संबंधी विवादों पर परिशान्ति भंग होने की आशंका में निरोधात्मक कार्यवाही

कालांश 04

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 145 व 146, परिस्थितियों एवं की जाने वाली कार्यवाही
2. इस्तगासा तैयार करना

य- गुण्डा एक्ट एवं एच.ओ. एक्ट के प्रमुख प्रावधान एवं इस्तगासा तैयार करना।

कालांश 04

र- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस एवं धारा 174 एवं 176 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत इस्तगासा तैयार करना।

कालांश 02

प्रश्न पत्र – III

पुलिस थाना/कार्यालय की कार्यप्रणाली

पूर्णांक :- 100

कालांश :- 54

मॉड्यूल-पांच – थाना प्रबन्धन एवं संचालन

अ-विधिक प्रावधान –

कालांश 14

- राजस्थान पुलिस नियम-1965 के नियम 3.1, 3.2, 3.10 से 3.14, 3.34, 3.37 से 3.40, 5.1, अध्याय 6 एवं 7
- राजस्थान पुलिस एक्ट – 2007 की धारा 2, 10, 16, 17, 19, 21, 29, 30, 32 से 39, 43, 44, 55, 60
- राजस्थान पुलिस नियम – 2008 – सामान्य जानकारी
- लोकसेवा गारण्टी अधिनियम – 2012 परिचय, सामान्य जानकारी
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियम व अपील) नियम – 1958 नियम 14, 15, 16, 17, 18 व 19

ब-दैनिक कार्यवाही –

कालांश 16

- रोलकॉल की उपयोगिता
- सूचना डेस्क, महिला डेस्क
- केस ऑफिसर स्कीम, हार्ड कोर क्रिमिनल स्कीम, सीएल0जी0
- बीट प्रणाली – सम्पूर्ण बीट वर्क मॉड्यूल, क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्तियों, आपराधिक गतिविधियों की जानकारी, बीट में मुखबिर बनाना, क्रिमिनल इन्टेलीजेन्स, बीट का सर्वे, बीट मैप तैयार करना, सजग पड़ौसी होना, सम्बल योजना, नौकरों का रिकार्ड, सी.पी.ओ., सी. एल.जी.सदस्यों से समन्वय
- बीट अधिकारी/ कर्मचारी का समुचित पर्यवेक्षण।
- यातायात नियन्त्रण तथा सड़क सुरक्षा के उपाय (जिम्मेदार विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, दुर्घटना के कारणों का पता लगाना तथा उनका निदान)

स- द्वितीय अधिकारी/ड्यूटी ऑफिसर की भूमिका–

कालांश 18

- थाने पर प्राप्त सूचना पर कार्यवाही (पुलिस रेसपोन्स टाइम) :- परिवाद, एफआईआर, कानून व्यवस्था आपराधिक आसूचना आदि।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना तथा कार्यवाही पुलिस लिखने का महत्व
- थाने पर उपलब्ध बल का समुचित नियोजन।
- गिरफ्तार व्यक्तियों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण विधिक प्रावधान की जानकारी।
- महिलाओं/बालकों के सम्बन्ध में नवीनतम सम्पूर्ण विधिक प्रावधान की जानकारी।

द- पुलिस लाईन में सहा0उप निरी0 के कार्य, चालानी गार्ड इन्चार्ज के रूप में भूमिका कालांश 02

य- पुलिस अधीक्षक कार्यालय की अपराध शाखा एवं विशेष शाखा की जानकारी कालांश 02

र- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप अधीक्षक कार्यालय में रीडर के कार्यों की जानकारी कालांश 02

प्रश्न पत्र – IV

सामयिक विषय, विधि विज्ञान एवं कम्प्यूटर

पूर्णांक :- 100

माड्यूल-छ:- विविध विषय

कालांश :- 54

अ – सामयिक विषय एवं व्यक्तित्व विकास –

कालांश – 05

- 1 तनाव प्रबन्धन
- 2 समय प्रबन्धन
- 3 पुलिस जनता सम्बन्ध एवं पुलिस छवि सुधारने का उपाय
- 4 संवाद कौशल
- 5 राजस्थान पुलिस की आदर्श आचार संहिता एवं पुलिस का ध्येय
- 6 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम – 1993 (केन्द्र एवं राज्य) सामान्य जानकारी- धारा-12, 13, 14, 17, 18 मानव अधिकार संरक्षण में पुलिस की भूमिका
- 7 संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य

ब – आसूचना एवं सुरक्षा --

कालांश – 06

- 1 आसूचना से अभिप्राय एवं आसूचना संकलन की विधियां
- 2 वी.आई.पी. सुरक्षा
- 3 बी.डी.एस. एवं डॉग स्क्वाड, एण्टी सबोटॉज चैक
- 4 सुरक्षा उपकरणों की जानकारी
- 5 किसान, छात्र, श्रमिक व राजनैतिक पार्टियों के आन्दोलन
- 6 आतंकवाद एवं साम्प्रदायिकता सम्बन्धी सामान्य जानकारी

स - विधि विज्ञान

कालांश - 18

- 1 फिंगर प्रिंट व पद चिन्ह
(फिंगर प्रिंट व पद चिन्हों की पहचान , उन्हे उठाने के तरीके व पैकिंग का कार्य)
- 2 घटना स्थल पर की जाने वाली कार्यवाही जैसे - नमूना खून आदि उठाना ,
प्रादर्श तैयार करना , पैक करना , सील करना व अग्रेषित करना (प्रेक्टिकल)
- 3 अपराध अन्वेषण में जैव खण्ड की वैज्ञानिक सहायता एवं उपयोग संदिग्ध आसव
/संदिग्ध मदिरा, एन.डी.पी.एस द्रव्यो आदि के नमूनों का परीक्षण, अग्रेषण एवं
परीक्षण
- 4 विष देने के संभावित प्रकरणों में विषरा एवं जैव तत्वों का महत्व व परीक्षण
- 5 प्रलेख, लेख, हस्ताक्षरों के संबंध में विधि विज्ञान की सहायता व नमूनों का
संकलन तथा परिणाम का उपयोग
- 6 आग्नेय अस्त्रो व विस्फोटको की जानकारी तथा उनके प्रकार
- 7 चोटों के प्रकार, शव परीक्षण, मृतक के शरीर पर पाये जाने वाले निशान, लक्षण
तथा मृत्यु के कारण
- 8 D.N.A. ब्रेन मैपिंग, नारको टेस्ट की बैसिक जानकारी
- 9

घ - कम्प्यूटर / सीसीटीएनएस

कालांश - 25

| Computer basic | | Period |
|-----------------------|--|--------|
| 1 | Computer fundamental and importance of computer | 01 |
| 2 | Hardware and software of a computer system | 01 |
| 3 | Operating systems - windows (Theory, Practical) | 1 + 1 |
| 4 | Backup and storage Devices. Virus/Antivirus | 01 |
| 5 | Microsoft word - 2007 (Theory, Practical) | 4 + 4 |
| 6 | Microsoft excel - 2007 (Theory, Practical) | 4 + 4 |
| 7 | Overview of Networking - Internet, Searching & Emailing (Theory, Practical) | 1 + 1 |
| 8 | Overview of Cyber Crime | 01 |
| 9 | Overview of CCTNS | 01 |

आन्तरिक मूल्यांकन

अंक :-50

| क्र.स. | विषय एवं संदर्भ |
|--------|---|
| 1 | प्रशिक्षण गतिविधियों में भागीदारी एवं रुचि। |
| 2 | अनुशासन |

राजस्थान पुलिस

मुख्या आरक्षी से सहायक उप निरीक्षक

पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

आउटडोर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

| प्रश्न पत्र संख्या | विवरण | पूर्णांक | कुल कालांश | विषयानुगत अंक | विषयानुगत कालांश |
|--------------------|--|----------|------------|---------------|------------------|
| 1 | शारीरिक प्रशिक्षण, ड्रिल एवं भीड़ नियंत्रण | 100 | 112 | | |
| | A शारीरिक प्रशिक्षण | 10 | 48 | -- | -- |
| | क - फ्री-हैण्ड पी.टी. | -- | -- | 05 | 25 |
| | ख - योगासन, प्राणायाम | -- | -- | 05 | 25 |
| | ग - रोड़वॉक एण्ड रन 2 किमी | -- | -- | 02 | 10 |
| | B ड्रिल | 70 | 40 | -- | -- |
| | क - टर्न आउट | -- | -- | 10 | -- |
| | ख - खाली हाथ ड्रिल | -- | -- | 15 | 10 |
| | ग - शस्त्र सहित ड्रिल, गार्ड ड्यूटी | -- | -- | 15 | 10 |
| | घ - निर्देशात्मक योग्यता | -- | -- | 30 | 20 |
| | C भीड़ नियंत्रण एवं बलवा परेड | 20 | 24 | -- | -- |
| | क - यातायात नियंत्रण | -- | -- | 04 | 08 |
| | ख - भीड़ नियंत्रण एवं भीड़ प्रबन्धन | -- | -- | 04 | 06 |
| | ग - बलवा परेड (एस.टी.एफ.पेटर्न पर) | -- | -- | 10 | 13 |
| | ड - आपदा प्रबन्धन एवं प्राथमिक चिकित्सा | -- | -- | 02 | 03 |

| | | | | |
|--|-----|----|----|----|
| शस्त्र प्रशिक्षण , मस्केट्री, फील्ड क्राफ्ट एवं टेक्टिक्स | 100 | 32 | | |
| A फील्ड क्राफ्ट एवं टेक्टिक्स | 10 | 05 | — | — |
| 1. फील्ड क्राफ्ट | 02 | — | — | 02 |
| 2. पेट्रोलिंग | 02 | — | — | 02 |
| 3. नाकाबन्दी | 02 | — | — | 02 |
| 4. अम्बुश | 02 | — | — | 02 |
| 5. घेराबन्दी | 02 | — | — | 02 |
| B शस्त्र प्रशिक्षण व मस्केट्री | 80 | 27 | — | — |
| क — शस्त्र ज्ञान | 30 | 20 | — | — |
| 1. 7.62 एमएम एसएलआर एवं .303 राईफल | — | — | 08 | 08 |
| 2. 9.एमएम पिस्टल/ .38रिवाल्वर, ग्लोक पिस्टल | — | — | 08 | 06 |
| 3. 9 एमएम स्टेनगन/ कारबाइन | — | — | 04 | 02 |
| 4. रबड़ बुलेट, प्लास्टिक पेलेट, गैस गन एवं गैस ग्रेनेड | — | — | 06 | 04 |
| 5. विस्फोटको के प्रकार, बम कैसे बनाया जाता है (बम के घटक), बम और आई.ई.डी. में अन्तर, बम ब्लॉस्ट की क्रिया विधि / विस्फोटक डिवाइस/ विस्फोटक नमूने, आई. ई.डी.। | — | — | 04 | 02 |
| ख — मस्केट्री व फायरिंग | 50 | 07 | | |
| 1. 7.62 एमएम एस.एल.आर./ .303 राईफल | — | — | — | — |
| I) थ्रूपिंग 100 गज 5 राउण्ड लाईंग पोजीशन टारगेट 4x4 | — | — | 15 | — |
| II) एप्लीकेशन 100 गज 5 राउण्ड लाईंग पोजीशन टारगेट 4x4 | — | — | 15 | — |
| 2. 9एमएम स्टेनगन/ कारबाइन | — | — | — | — |
| I एप्लीकेशन 20 गज 5 राउण्ड बैटलकाउच पोजीशन टारगेट फिगर -11 | — | — | 10 | — |
| II एप्लीकेशन 25 गज 5 राउण्ड स्टेण्डिंग पोजीशन टारगेट फिगर -11 | — | — | 10 | — |

मस्केट्री फायरिंग अंक विवरण :-

1. 7.62 एमएम एस.एल.आर./ .303 राईफल

| गुपिंग | 1"-4" | 5" | 6" | 7"-8" | 9"-10" | 11"-12" |
|-----------|-------|-----|----|-------|--------|---------|
| अंक | 15 | 13 | 12 | 10 | 09 | 08 |
| एप्लीकेशन | | बुल | | इनर | मेकपाई | आउटर |
| अंक | | 3 | | 2 | 1.5 | .5 |

2. 9 एमएम स्टेनगन/ कारबाईन प्रत्येक हिट पर 2 अंक

नोट:- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में माड्यूलस का क्रम वार प्रशिक्षण दिया जायेगा, यथा माड्यूल एक से आरम्भ कर उसके पूर्ण होने पर माड्यूल नं0 दो एवं तत्पश्चात् क्रमवार पूर्ण होने तक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश :-

1. आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) में प्रत्येक प्रश्न में 45 प्रतिशत अंक और कुल आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) के प्रश्न पत्रों का योग का 50 प्रतिशत (एग्ग्रीगेट) अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक हैं।
2. आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) एवं निदेशक/प्रधानाचार्य/कमाण्डेण्ट द्वारा प्रदत्त (आन्तरिक मूल्यांकन) अंकों के योग का 50 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक हैं।
3. समस्त आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) परीक्षाएँ मस्केट्री एवं फायरिंग को छोड़कर बोर्ड द्वारा ली जावेगी। मस्केट्री व फायरिंग की परीक्षा निदेशक/प्रधानाचार्य/कमाण्डेण्ट स्वयं या उनके द्वारा मनोनीत पुलिस अधिकारियों द्वारा ली जावेगी। मस्केट्री व फायरिंग परीक्षा की अंकतालिका बोर्ड के अध्यक्ष को प्रतियों में प्रस्तुत की जावेगी।
4. परीक्षा हेतु बोर्ड का गठन प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा किया जावेगा। बोर्ड अध्यक्ष पदोन्नति परीक्षा के लिए आयोजित चयन परीक्षा के बोर्ड के अध्यक्ष के पद से कम नहीं होगा।
5. अन्तिम परीक्षा में बोर्ड निम्नानुसार होगा :-
 1. महानिरीक्षक पुलिस अध्यक्ष
 2. पुलिस अधीक्षक सदस्य
 3. कमाण्डेण्ट/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सदस्य सचिव